राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–33/2025

शीलेन्द्र कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, धोलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलेश शर्मा एवं श्री नकुल बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गढ़ी लज्जा में लेवल–2 अंग्रेजी विषय का अध्यापक है। उक्त विद्यालय में अध्यापक लेवल–2, अंग्रेजी विषय का एक पद सृजित है, जिस पर अपीलार्थी कार्यरत है। फिर भी अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को इस आधार पर अधिशेष होना माना गया है कि अग्रेंजी का पद जो उक्त विद्यालय में सृजित है, वह पोर्टल पर दर्शित नहीं हुआ है। जबकि वास्तव में पद सृजित है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त विद्यालय में लेवल–2 अग्रेंजी का पद वर्तमान में रिक्त है।
4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गढ़ी, लज्जा में अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के संबंध में प्रपत्र दिनांक 23.12.2024 प्रस्तुत किया है,

जिससे प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि उक्त विद्यालय में वर्तमान में लेवल–2, अंग्रेजी विषय का पद सृजित हैं। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना माना गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 18.12.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.12.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गढ़ी, लज्जा में ही पदस्थापित रखा जायें। भविष्य में प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)